General Instructions for the Candidates

1. The candidates are advised to reach centre as per the time slot indicated against Reporting/ Entry time in the admit card.
2. Candidates should note that no candidate will be allowed entry after the entry closing time in any circumstance or due to any reason. Gates will be closed strictly at entry closing time.
3. Candidates should invariably bring the following at the time of reporting for the examination:
   (a) **Admission Certificate**
   (b) Two copies of their **latest coloured passport size photograph** (3 cm x 3.5 cm).
   (c) At least one valid **photo bearing identity proof in ORIGINAL** with clear photograph (Eligible photo identity proofs such as 1. Passport, 2. Aadhaar Card/Print out of e-Aadhaar, 3. Driving License, 4. Service ID Card issued to employees by Central Govt./State Govt./ PSUs, 5. ID Card issued by University/College/School 6. Voter's ID Card, 7. PAN Card, 8. Ex-Servicemen Discharge Book issued by Ministry of Defence, 9. Any other Photo Identity Proof issued by Central Govt./ State Govt.).
   (d) If the Photo Identity Card does not contain the complete Date of Birth, then the candidate must carry an additional original document having the Date of Birth as printed on the Admission Certificate (e.g. Admit Card/ Pass Certificate/ Marks Sheet of 10^{th} Class issued only by CBSE/ ICSE/ State Boards; Birth Certificate, Category Certificate etc. issued only by Central Govt. / State Govt. / PSUs). **In case of a mismatch in the Date of Birth mentioned in the Admission Certificate and Photo ID Proof/ the Certificate brought in support of Date of Birth, the candidate will not be allowed to appear in the examination**.
   (e) **Face mask.**
   (f) **Hand sanitizer (Small bottle).**
   (g) **Transparent water bottle.**
   (h) **Printout of COVID-19 Self Declaration Form provided with the Admission Certificate.**
4. No candidate will be allowed to leave the examination lab before the completion of the examination time for any reason without permission from the exam Functionaries. Once a candidate leaves the lab without the permission of the exam functionaries, he/she shall not be allowed to re-enter the examination lab and his/her candidature shall be cancelled.
5. Candidates shall be permitted to appear in the exam only at the venue as specified in the Admission Certificate.
6. Candidates are advised to visit the exam venue at least one day in advance so that they can reach the examination venue on the date of exam in time.
7. Candidates must ensure that they do not appear in the examination more than once. Otherwise candidature of such candidates would be cancelled and appropriate action will be taken against them.
8. Candidature of candidates is purely provisional. It is advised that candidates should satisfy themselves that they fulfil all the eligibility conditions. If at any stage, it is found that a candidate does not fulfil any of the eligibility conditions, his/her candidature shall be cancelled.
9. Prohibited items such as watches, books, pens, paper chits, magazines, electronic gadgets (mobile phones, Bluetooth devices, head phones, pen/ buttonhole/ spy cameras, scanner, calculator, storage devices etc) are strictly not allowed in the examination lab. If any such item is found in the possession of a candidate in the examination lab, his/her candidature is liable to be cancelled and legal/criminal

proceedings could be initiated against him/her. He/she would also be liable to be debarred from appearing in future examinations of the Commission as per extant rules.

10. Candidates should avoid wearing items like nose pins, bracelets, earrings, charms, kadas etc. In case, religion/ customs require candidates to wear specific attire, the frisking may take more time and therefore candidates should report at the venue of examination early.
11. Candidates are advised not to bring bags and prohibited items into the examination venue. In case they bring any such item, they would have to make their own arrangements for safe custody of such items. The Commission will not be liable to make any arrangement for safe custody of any such item.
12. Pen and paper for rough work would be provided in the examination lab.
13. All Exam Labs are under Video Surveillance.
14. Electronic watch (timer) will be available on the computer screen allotted to candidates.
15. Candidate should ensure that they do not indulge in any unfair means and shall also not talk to each other after commencement of the exam and during its entire duration.
16. Candidate shall have to undergo the process of contactless Frisking through Handheld Metal Detector (HHMD).
17. Candidate must strictly abide by the instructions given by the Exam Functionaries (Centre Supervisor / Invigilator, etc).
18. Candidate should ensure that they provide clear Left Thumb Impression (LTI), Certification Statement in their running handwriting and signature on Commission's Copy of Admission Certificate taking necessary precautions against Covid-19.
19. If any candidate is found obstructing the conduct of the examination or creating disturbances at the examination venue, his/her candidature shall be summarily cancelled. Such candidate shall also be liable to be debarred from future examinations of the Commission and legal/criminal proceedings could be initiated against him/her. It may be noted that no re-examination would be conducted if it is found that the examination was disrupted on account of instigation by the candidates.
20. If the examination does not commence at the scheduled time or is interrupted midway due to any technical snag or for any other reason, candidates should follow the instructions of the exam functionaries. They may have to wait patiently till the issue is suitably addressed and resolved. The Commission would take an appropriate action and decision in the matter which would be final and would be binding on candidates in case the exam could not be completed.
21. Candidates are assured that in case of disruption of examination for any reason such as major/minor technical snag or slow speed of server/breakdown of server etc., they will not, under any circumstances, lose the examination time to which they are entitled.
22. Candidates are advised to report to the concerned Regional Office/ Commission, in case they notice any irregularity during conduct of examination. The identity of such candidates will be kept confidential.
23. Eligible PwD candidates are entitled for compensatory time of 20 minutes per hours and assistance of scribe.
24. PwD candidates, other than those affected by blindness and cerebral palsy, who have opted for the facility of scribe and/or Compensatory time in their application form are required to produce certificate as per Annexure-1 of the Notice of Examination for availing the facility of scribe.
25. Candidates opting for own scribe, the qualification of the scribe should be one step below the qualification of the candidate taking the examination. Such candidates shall be required to submit details of the own scribe in proforma at Annexure-II of the Notice of Examination. In addition, the scribe has to produce a valid ID proof (as per list given at Para-3) in original. A photocopy of the ID proof of the scribe signed by the candidate as well as the scribe is required to be submitted along with proforma at Annexure-II.
26. Scribe arranged by the PwD candidate should not be a candidate of this examination otherwise candidatures of both the candidates will be cancelled.
27. One eyed candidates and partially blind candidates, who are able to read the normal Question Paper set with or without magnifying glass and who wish to write/indicate the answer with the help of magnifying glass, will be allowed to use the same in the

Examination Hall and will not be entitled to a Scribe. Such candidates will have to bring their own Magnifying Glass to the Examination Hall.

28. If any candidate is found in inebriated state that candidate will not be allowed entry to the venue.
29. In case of any doubt or clarification, the candidates are advised to contact the concerned Regional Office of the Commission personally or through the Helpline Numbers as indicated in the Admission Certificate.

Advisory for Candidates regarding Covid-19

Staff Selection Commission will implement social distancing norms during the conduct of its Computer Based Examinations in adherence to the Govt. of India guidelines in the present scenario of Covid-19 to ensure health and safety of the candidates. Appropriate precautionary measures have been taken by the Commission for fair and transparent conduct of the examination without compromising on the safety of examiners and examinees. Candidates are required to adhere to the guidelines for social distancing and hygiene in their own interest. Non-adherence of social distancing norms and the following guidelines may lead to strict action against the erring candidate. The candidates are required to note and follow the following instructions:

1. In light of Covid-19 pandemic, the candidates are advised to reach the venue of examination well before gate closure time so as to avoid last minute crowding at the entry gate.
2. On reaching the examination venue, candidates are advised to follow social distancing norms and maintain distance of 6 feet between two candidates.
3. Mapping of candidate Roll Number and Lab Number will not be displayed outside the examination venue but will be provided to the candidates individually at the time of entry after verification of their Admission Certificate and ID Proof.
4. Facility for hand sanitization will be available at entry gate and also inside the examination venue. All candidates are required to sanitize their hands.
5. Contactless candidate verification will be conducted by flashing of admit card and valid Photo ID proof at Document Verification desk.
6. Ball pen and rough sheets will be provided to the candidates. Rough sheets and a Ball pen will be placed at the candidate seats. Additional Rough sheets, when demanded, will also be provided to the candidates. Candidates will be required to drop the rough sheets in the drop box provided in the Lab.
7. Candidates with COVID-19 positive declaration or symptoms of fever, cough, etc. will not be permitted entry into examination venue. Candidates will be checked with thermo guns at entry point for fever and candidates having above normal (>99.14° F/ 37.3° C) temperature will not be allowed entry.
8. Candidate may also use hand gloves at their discretion.
9. Candidates are required to undergo contact less frisking and temperature checking using thermo gun and they will be directed towards the document verification desk. The exam functionaries will examine the Admission Certificate, ID Proofs etc. and candidates will then move towards Registration desk.
10. At Registration desk, the photograph of the candidate will be captured, however, no thumb impression will be taken as a precautionary measure. Seat numbers will be provided to the candidates at this instance.
11. Candidates will then be guided to his allocated seats. **To ensure social distancing norms, candidates may be assigned another seat in case two candidates are allotted adjacent seats.**
12. Candidates are advised to sanitize their hands before and after filling the Commission Copy and Attendance Sheet.
13. On completion of a shift, the candidates will be permitted to move out in an orderly manner – one candidate at a time.
14. Rough sheets will be dropped by the candidates in the designated box at the exit of the examination lab.

COVID-19 Self Declaration Form

I hereby declare that I haven't been tested positive for Corona Virus or identified as a potential carrier of COVID-19 virus and I am also not having any of the symptoms related to COVID-19.

Candidate Name: ____

Candidate Roll No.: ____

Exam Name: ____

Exam Date: ____

Exam Shift: ____

Exam Venue Name: ____

Signature of Candidate: ____

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश

1. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेशपत्र में दिए गए रिपोर्टिंग/प्रवेश-समय में निर्धारित समय स्लॉट के अनुसार केंद्र पहुंचें।

2. अभ्यर्थी ध्यान दें कि किसी भी परिस्थिति में या किसी भी कारण से प्रवेश-समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश-समय के बाद गेटों को हर हाल में बंद कर दिया जाएगा।

3. अभ्यर्थी परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग के समय सदैव निम्नलिखित अपने साथ लाएं :

(क) **प्रवेश-पत्र**

(ख) **पासपोर्ट आकार की अपनी नवीनतम रंगीन फोटों** की दो प्रतियां (3 सेमी x 3.5 सेमी)।

(ग) स्पष्ट फोटो वाला मूल रूप में **कम से कम एक फोटोयुक्त वैध पहचान प्रमाण** (अपेक्षित फोटो पहचान-प्रमाण जैसे कि 1. पासपोर्ट, 2. आधार कार्ड / ई आधार का प्रिंट आउट, 3. ड्राइविंग लाइसेंस, 4. केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया सेवा पहचान-पत्र, 5. विश्वविद्यालय / कॉलेज / स्कूल द्वारा जारी किया गया पहचान-पत्र, 6. मतदाता पहचान-पत्र , 7. पैन कार्ड, 8. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया भूतपूर्व सैनिक निर्मुक्ति पुस्तक, 9. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान प्रमाण।

(घ) यदि फोटो पहचान पत्र पर पूर्ण जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज लाना होगा जिसमें जन्म तिथि वही हो जो प्रवेश-पत्र में अंकित है (जैसे- सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी 10वीं कक्षा का प्रवेशपत्र/पास प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) । **यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

(ड.) **फेस मास्क।**

(च) हैंड सैनिटाइजर (छोटी बोतल) ।

(छ) पारदर्शी पानी की बोतल।

(ज) प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ दिया गया कोविड-19 स्व-घोषणा पत्र का प्रिंटआउट।

4. परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी कारण से परीक्षा समाप्त होने के समय से पहले परीक्षा लैब को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना लैब छोड़ देता है, तो उसे परीक्षा लैब में फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

5. अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट स्थल पर ही परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी।

6. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम एक दिन पहले परीक्षा स्थल पर जाएं ताकि वे परीक्षा की तारीख को समय पर परीक्षा स्थल पर पहुंच सकें।

7. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे एक से अधिक बार परीक्षा में उपस्थित न हों। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी ।

8. अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता विशुद्ध रूप से अनंतिम है। यह सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी स्वयं को संतुष्ट कर लें कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

9. परीक्षा लैब में निषिद्ध वस्तुएं, जैसे- घड़ी, किताबें, पेन, पेपर चिट, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेड फोन, पेन / बटनहोल / स्पाई कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि) लाने की सख्त मनाही है। । यदि परीक्षा लैब में किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वस्तु पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और उसके खिलाफ कानूनी /

आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। मौजूदा नियमों के अनुसार, वह भविष्य में आयोग की आयोजित होने वाली परीक्षाओं में उपस्थित होने से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।

10. अभ्यर्थियों को नोज़-पिन, कंगन, झुमके, चार्म्स (charms), कड़ा आदि जैसी वस्तुओं को पहनने से बचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को धर्म/रीति-रिवाजों के कारण विशिष्ट पोशाक पहनने की आवश्यकता होती है, तो उनकी तलाशी में अधिक समय लग सकता है और इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर जल्दी रिपोर्ट करना चाहिए।

11. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल में बैग और निषिद्ध वस्तुएं न लाएं। यदि वे ऐसी कोई भी वस्तु लाते हैं, तो उन्हें ऐसी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी। आयोग ऐसी किसी भी वस्तु की अभिरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

12. रफ़ कार्य के लिए पेन और पेपर परीक्षा लैब में दिए जाएंगे।

13. सभी परीक्षा लैब्स वीडियो निगरानी के अधीन हैं।

14. अभ्यर्थियों को दी गई कंप्यूटर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी (टाइमर) उपलब्ध रहेगी

15. अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग न करें और परीक्षा शुरू होने पर और इसकी पूरी अवधि के दौरान एक दूसरे से बात नहीं करें।

16. अभ्यर्थी को हस्त संचालित मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) के जरिए संपर्क रहित तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

17. अभ्यर्थी को परीक्षा अधिकारियों (केंद्र पर्यवेक्षक/परीक्षक आदि) द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

18. अभ्यर्थी को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानी बरतते हुए प्रवेशपत्र की आयोग की प्रतिलिपि पर अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान (एलटीआई), प्रवाहपूर्ण हस्तलेख (रनिंग हैंडराइटिंग) में प्रमाणन व्यक्तव्य और हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करना चाहिए।

19. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन में बाधा उत्पन्न करता है या परीक्षा स्थल पर गड़बड़ी करता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। इस प्रकार का अभ्यर्थी आयोग की भावी परीक्षाओं से वंचित होने के लिए भी उत्तरदायी होगा और उसके खिलाफ कानूनी/आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। ध्यान दिया जाए कि यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थियों के उकसाने के कारण परीक्षा में व्यवधान हुआ, तो परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी।

20. यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण या किसी अन्य कारण से परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं होती है या बीच में बाधित होती है, तो अभ्यर्थियों को परीक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। समस्या का समाधान होने तक उन्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। यदि परीक्षा पूरी नहीं होती है तो आयोग उक्त मामले में उचित कार्रवाई करेगा व निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा एवं अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा।

21. अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया जाता है कि किसी भी कारण से परीक्षा में व्यवधान, जैसे- गंभीर/मामूली तकनीकी बाधा या सर्वर की धीमी गति / सर्वर का संपर्क न रहना आदि होने की स्थिति में उनके परीक्षा के समय की किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, जिसके वे हकदार हैं।

22. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें परीक्षा के दौरान कोई अनियमितता दिखाई देती है तो वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय / आयोग को इसकी सूचना दें। ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

23. पात्र शा.दि. अभ्यर्थी प्रति घंटे 20 मिनट के पूरक समय और प्रलिपिक की सहायता के हकदार हैं।

24. दृष्टिहीनता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात प्रभावित लोगों का छोड़कर अन्य शा.दि. अभ्यर्थियों, जिन्होंने अपने आवेदन पत्र में प्रलिपिक की सुविधा का विकल्प चुना है, उन्हें प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाने के लिए परीक्षा के नोटिस के <u>अनुबंध-I (एनेक्सर-I)</u> के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

25. यदि अभ्यर्थी अपने प्रलिपिक का विकल्प देता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए । अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे अभ्यर्थियों को **<u>अनुबंध-II (एनेक्सर-II)</u>** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार परीक्षा देने के समय अपने प्रलिपिक के ब्योरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । इसके अलावा प्रलिपिक को परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की (पैरा 3 पर दी गई सूची के अनुसार) मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी । **<u>अनुबंध-II (एनेक्सर-II)</u>** पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाएगी ।

26. शा.दि. अभ्यर्थी द्वारा व्यवस्थित प्रलिपिक को इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए, अन्यथा दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

27. एकाक्ष (एक आंख वाला) अभ्यर्थी और आशिंक रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति जो आवर्धक लैंस से या उसके बिना सामान्य प्रश्न-प्रत्र पढ़ सकते हैं और आवर्धक लैंस की सहायता से उत्तर अंकित करना चाहते है, उन्हें परीक्षा कक्ष में आवर्धक लैंस का प्रयोग करने की अनुमति होगी और उन्हें प्रलिपिक की सुविधा लेने का हक नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में अपना आवर्धक लैंस लाना होगा।

28. यदि कोई अभ्यर्थी नशे की हालत में पाया जाता है तो उसे परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

29. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी संदेह या स्पष्टीकरण के मामले में वे आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से या प्रवेश-पत्र में दर्शाए गए हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से संपर्क करें।

कोविड-19 (कोरोना) के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए सलाह

कर्मचारी चयन आयोग अपनी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के संचालन के दौरान अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए,कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, सामाजिक दूरी के मानदंडोंको लागू करेगा। परीक्षकों और परीक्षार्थियों की सुरक्षा से समझौता किए बिना परीक्षा के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए आयोग द्वारा उचित एहतियाती कदम उठाए गए हैं। अभ्यर्थियों को अपने हित में सामाजिक दूरी और स्वच्छता के लिए दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। सामाजिक दूरी मानदंडोंऔर निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन न करने पर दोषी अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। अभ्यर्थियों को निम्नलिखितअनुदेशों पर ध्यान देना और उनका पालन करना आवश्यक है:

1. कोविड -19 महामारी के आलोक में, अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश द्वार पर अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए गेट बंद होने के समय से पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचें।

2. परीक्षा स्थल पर पहुंचने पर, अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करें और दो अभ्यर्थियों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखें।

3. अभ्यर्थी के रोल नंबर और लैब नंबर की मैपिंग परीक्षा स्थल के बाहर प्रदर्शित नहीं की जाएगी, लेकिन प्रवेशप्रमाण-पत्र और पहचान प्रमाण-पत्र के सत्यापन के बाद प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाएगी।

4. प्रवेश द्वार पर और परीक्षा स्थल के अंदर भी हाथ स्वच्छ करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सभी अभ्यर्थियों को अपने हाथों को साफ करना होगा।

5. दस्तावेज सत्यापन डेस्क पर प्रवेश-पत्र और वैध फोटो पहचान-पत्र की फ्लैशिंग द्वारा अभ्यर्थी का संपर्क रहित सत्यापन किया जाएगा।

6. अभ्यर्थियों को बॉल पेन और रफ शीट प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों की सीटों पर रफ शीट और एक बॉल पेन रखा जाएगा। अभ्यर्थियों को,मांगने पर,अतिरिक्त रफ शीटभी प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को लैब में उपलब्ध कराए गए ड्राप बॉक्स में रफ शीट डालनी होगी ।

7. कोविड-19 की पुष्टि होने पर या बुखार, खांसी आदि के लक्षणों वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा स्थल प्रवेश द्वार पर थर्मो गन से अभ्यर्थियों के तापमान की जांच की जाएगी और सामान्य से ऊपर तापमान (>99.14 ° F / 37.3o C) वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

8. अभ्यर्थी अपने विवेकानुसार हाथ के दस्ताने भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

9. अभ्यर्थियों को थर्मो गन के उपयोग से संपर्क रहित तलाशी और तापमान की जांच की जाएगी और उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन डेस्क की ओर जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। परीक्षा अधिकारी प्रवेश प्रमाण-पत्र, पहचान प्रमाण-पत्र आदि की जांच करेंगे और अभ्यर्थी फिर पंजीकरण डेस्क की ओर बढ़ेंगे।

10. पंजीकरण डेस्क पर, अभ्यर्थी की तस्वीर ली जाएगी, हालांकि, एहतियाती उपाय के रूप में अंगूठे का निशान नहीं लिया जाएगा। इस समय अभ्यर्थियों को सीट नंबर प्रदान किए जाएंगे।

11. अभ्यर्थियों को उन्हें आवंटित सीटों की ओर निर्देशित किया जाएगा। सामाजिक दूरी संबधी मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए, दो अभ्यर्थियों की सीट पास-पास होने पर,अभ्यर्थियों को एक अन्य सीट सौंपी जा सकती है।

12. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की प्रति और उपस्थिति प्रपत्र भरने से पहले और बाद में अपने हाथों को स्वच्छ करें।

13. एक पारी के पूरा होने पर, एक बार में एक अभ्यर्थी के क्रम में अभ्यर्थियों को क्रमबद्ध तरीके से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी ।

14. रफ शीट को अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा लैब से निकलने के स्थान पर रखे बॉक्स में डाला जाएगा।

<u>कोविड-19 स्व: घोषणा-पत्र</u>

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरी कोरोना वायरस जांच की पुष्टि नहीं हुई है या मुझे कोविड-19 के संभावित वाहक के रूप में नहीं पाया गया है और मुझे कोविड-19 से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं है।

अभ्यर्थी का नाम:____

अभ्यर्थी का रोल नं.:____

परीक्षा का नाम:____

परीक्षा की तिथि:____

परीक्षा पाली:____

परीक्षा केंद्र का नाम:____

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर:____